The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II--खण्ड 3--उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1136] No. 1136]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 27, 2006/आश्विन 5, 1928 NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 27, 2006/ASVINA 5, 1928

लघु उद्योग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2006

का.आ. 1622(अ).--केन्द्रीय सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 7 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए एक सलाहकार समिति का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

- 1. सचिव, भारत सरकार, अध्यक्ष, पदेन लघु उद्योग मंत्रालय तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय
- 2. सचिव, भारत सरकार, सदस्य, पदेन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, (या संयुक्त सचिव से अन्यून की पंक्ति का उसका नामनिर्देशिति)
- 3. सचिव, भारत सरकार, सदस्य, पदेन खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ' (या संयुक्त सचिव से अन्यून की पंक्ति का उसका नामनिर्देशिति)
- 4. सचिव, भारत सरकार, सदस्य, पदेन राजगार और श्रम मंत्रालय (या संयुक्त सचिव से अन्यून की पंक्ति का उसका नामनिर्देशिति)
- 5. सचिव, भारत सरकार, सदस्य, पदेन वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (या संयुक्त सचिव से अन्यून की पंक्ति का ्डसका नामनिर्देशिति)

- सलाहकार (ग्राम और लघु उद्यम) योजना आयोग
- 7. प्रधान सचिव या सचिव, आन्ध्र प्रदेश सरकार, जो यथास्थिति लघु उद्योग या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से सम्बन्धित कार्य करते हों ।
- 8. प्रधान सचिव या सचिव, असम सरकार, जो यथास्थिति लघु उद्योग या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से सम्बन्धित कार्य करते हों।
- 9. प्रधान सचिव या सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, जो यथास्थिति लघु उद्योग या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से सम्बन्धित कार्य करते हों।
- 10. प्रेसीडेंट. तमिलनाडु एसोसिएशन ऑफ काटेज एंड टाइनी इंटरप्रिनोर्स, नं. 5, चर्च रोड, टी.एम.पी. नगर, पाडी अम्बातूर, चेन्नई-600050
- 11. प्रसीडेंट. फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो, स्माल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, बी-4/161, सफदरजंग एन्कलेव, नई दिल्ली-110029
- 12. अध्यक्ष, भारतीय उद्योग परिसंघ, 23, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

सदस्य, पदेन

,3046 GI/2006

13. भारत सरकार के अपर सचिव और सदस्य, सचिव विकास आयुक्त (लघु उद्योग), राधु उद्योग मंत्रालय

2. सलाहकार सिमिति की सामान्यत: प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बस बैठक होगी । सिमिति अपने विवेकानुसार सूक्ष्म; लघु और मध्यम उद्यमों, केन्द्रीय या राज्य सरकार के मंत्रालयों या विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य व्यक्तियों को और साथ ही सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी अपनी कानूनी कृत्यों का निवेहन करने के लिए सिमिति को समर्थ बनाने हेतु अपनी बैठक में आमंत्रित कर सकेगी ।

> [सं. 2(10)/2006-एमएसएमई नीति] जवाहर सरकार, अपर सचिव

MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 2006

\$.O. 1622(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 7 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), the Central Government hereby constitutes an Advisory Committee, for a period of two years from the date of publication of this notification, consisting of the following members, namely:—

(1) Secretary to the Government of India, Ministry of Small Scale Industries and Ministry of Agro and Rural Industries.

Chairperson, ex officio

(2) Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce (or, his nominee, not below the rank of Joint Secretary).

Member, ex officio

(3) Secretary to the Government of India, Ministry of Food Processing Industries (or, his nominee, not below the rank of Joint Secretary).

Member, ex officio

(4) Secretary to the Government of India, Ministry of Labour and Employment (or, his nominee, not below the rank of Joint Secretary).

Member, ex officio

(5) Secretary to the Government of India, Ministry of Finance,
Department of Revenue (or, his nominee, not below the rank of Joint Secretary).

Member, ex officio

- (6) Adviser (Village and Small Member, Enterprises), Planning Commission. ex officio
- (7) Principal Secretary or the Secretary to the Government of Andhra ex officio
 Pradesh, dealing with Small Scale
 Industries or, as the case may be,
 micro, small and medium enterprises.
- (8) Principal Secretary or the Secretary to the Government of Assam, ex officio dealing with Small Scale Industries or, as the case may be, Micro, Small and Medium Enterprises.
- (9) Principal Secretary or the Secretary Member, to the Government of Uttar Pradesh, ex officio dealing with Small Scale Industries or, as the case may be, Micro, Small and Medium Enterprises.
- (10) President, Member,
 Tamilnadu Association of Cottage and Tiny Entrepreneurs, No. 5,
 Church Road, T.M.P. Nagar, Padi,
 Ambattur, Chennai-600 050.
- (11) President, Member,
 Federation of Indian Micro, ex officio
 Small and Medium Enterprises,
 B-4/161, Safdarjung Enclave,
 New Delhi-110029.
- (12) President, Member,
 Confederation of Indian Industries ex officio
 23, Institutional Area, Lodhi Road,
 New Delhi-110 003.
- (13) Additional Secretary to Government of India and Development Secretary
 Commissioner (Small Scale
 Industries), Ministry of Small
 Scale Industries.
- 2. The Advisory Committee shall ordinarily meet at least once in every three months. The Committee may also, at its discretion, invite other persons representing Micro, Small and Medium Enterprises, the Central or State Government Ministries or Departments as well as experts in the area of Micro, Small and Medium Enterprises to its meetings to enable the Committee to discharge its statutory functions.

[No. 2(10)/2006-MSME Policy] JAWHAR SIRCAR, Addl. Secy.